UPGK010114402025

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

उपस्थितः उमेश चन्द्र पाण्डेय-II (एच.जे.एस.)

सिविल निगरानी संख्या- 143/2025

1. ममता गुप्ता पुत्री स्व० रामचन्दर प्रसाद।

2. राधा रमण पुत्र स्व० रामचन्दर प्रसाद।

निवासीगण मोहल्ला- मियां बाजार, पूरब फाटक, शहर- गोरखपुर।

..... **निगरानीकर्तागण**

बनाम

कैलाश प्रसाद पुत्र स्व० बद्री प्रसाद, निवासी मोहल्ला- मियां बाजार, पूरब फाटक, शहर- गोरखपुर। ..... **विपक्षी**

निर्णय

प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्तागण ममता गुप्ता वगैरह के द्वारा सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०, गोरखपुर द्वारा वाद संख्या- 564/2004, रामचन्दर प्रसाद आदि बनाम गोरख प्रसाद आदि के मामले में पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 एवं 18.09.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अनुसार उपरोक्त वाद में निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 225ग एवं 230 क को विद्वान न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद के विचारण के दौरान प्रार्थना पत्र-225ग, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा साक्षी डी०डब्लू०-2 की जिरह समाप्त किये जाने के आदेश को रिकाल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उक्त प्रार्थना पत्र 225ग के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या-02 की ओर से आपत्ति 226ग प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

वादीगण एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र 225ग एवं आपत्ति 226ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात दिनांक 02.09.2025 को मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र-225 ग आधार अपर्याप्त होने के निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया गया।

तत्पश्चात अग्रेतर वादीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से दौरान विचारण एक संशोधन प्रार्थना पत्र 230क इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि:-

वाद पत्र के धारा-10 "ब" में यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं०-2 के कब्जे में मकान नं०-192 व 215 है जो नक्शा नजरी में मद सूची ब व स क्रमशः है जिसमें प्रतिवादी सं०-2 ने पांच किरायेदार रखा जिनसे वह 30,000/-रुपया माहवार किराया वसूलते हैं। एक मकान तीन मंजिला है जिसमें 3 कमरे, किचन, लट्रीन व बाथरूम है। प्रत्येक तल पर इसी प्रकार तीन कमरे, किचन, लैट्रीन बाथरूम है जिसमें से भूमितल पर प्रतिवादी सं०-2 तीन कमरों में अपने पुत्र के साथ रहता है तथा प्रथम तल व द्वितीय तल पर जो तीन-तीन कमरे है में स्कूली बच्चों को किराये पर कमरा दे रखा है जिससे प्रतिवादी सं०-2 की 15,000/-पन्द्रह हजार रुपये की माहवार आमदनी होती है। इसी प्रकार मकान नं०-215 है जिसमें एक किरायेदार अन्नू सर्विस सेन्टर है जो पांच हजार रुपया किराया प्रति० सं०-2 को 10,000/-रुपया माहवार किराया देता है। इस प्रकार प्रतिवादी सं०-2 मु०-30,000/- रुपया माहवार कमाता है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा होता है जिसको प्रतिवादी सं०-2 ने वादी का हिस्सा की रकम अदा नहीं कर रहा है। प्रतिवादी सं०-2 ने अपने आपत्ति में यह कहा कि उपरोक्त तथ्य का अनुतोष नहीं मांगा गया है जबकि न्यायहित में उपरोक्त तथ्यों के बावत वाद में अनुतोष मांगा जाना आवश्यक है। अतः वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वांछित संशोधन को बाद पत्र में संशोधन करने की याचना की गयी।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 230क के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या-02 की ओर से आपत्ति 232ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि:-

प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं तथा अवधि बाधित है। मुकदमा हाजा में वादीगण का साक्ष्य समाप्त हो चुका हे और इस समय प्रतिवादी के गवाह डी०डब्लू ०2 की जिरह चल रही है यानि एक बार मुकदमा में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो कोई संशोधन मंजूर नहीं होगा। वादीगण ने मुकदमा हाजा में प्रार्थना पत्र 222ग अंतर्गत आर्डर 40 जाफ्ता दीवानी रिसीवर नियुक्त करने के संबंध में दाखिल किया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता ने दिनांक 29.08.2025 को 222ग के विरूद्ध आपत्ति मय काउण्टर शपथपत्र के दाखिल किया। आपत्ति के पैरा-14 में यह दर्ज किया कि वादी ने प्रश्नगत प्रकरण में अपने वाद पत्र में कोई रिलीफ नहीं मांगा है इसलिए मात्र इस आधार पर प्रार्थना पत्र 222ग वादी काबिल खारिजी के है क्योंकि जो रिलीफ वाद पत्र में नहीं मांगी गयी है उसके संबंध में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र जो अंतरिम रिलीफ के संबंध में दिया गया है वह पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के हैं। इस तौर पर जब वादीगण ने देखा कि उसका प्रार्थना पत्र 222ग खारिज हो जायेगा तब उसने अपने लेकुना को ठीक करने के लिए आफ्टरथाट मेलाफाइडी तौर पर संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के हैं। इस तौर पर जो लाभ कानूनन पूर्व में आपत्तिकर्ता को मिल चुका हैं उसे इस तरह के संशोधन प्रार्थना पत्र के जरिये समाप्त नहीं किया जा सकता है। मकान नंबर 192 व 215 में कोई किरायेदार नहीं है और न आपत्तिकर्ता किसी तथाकथित किरायेदार से कोई तथाकथित किराया वसूलते है इस संबंध में प्रतिवादी का बयान व जिरह भी हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 230क निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

वादीगण एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र 230क एवं आपत्ति 232ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात दिनांक 18.09.2025 को मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा

प्रार्थना पत्र-230क मामले को विलंबित करने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन समय सीमा में न करने के निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया गया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांकित 02.09.2025 एवं 18.09.2025 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दोनों प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध एवं असलियत के खिलाफ होना कहा गया है और कहा है कि वादीगण/निगरानीकर्तागण को जिरह का अवसर मिलना न्यायहित में आवश्यक था। अवर न्यायालय ने जो संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किया उस पर सिर्फ यह कह दिया कि मुकदमे को विलंबित किया जा रहा है जबकि प्रार्थना पत्र 230क स्वीकार न होने से वादीगण दादरसी अनुतोष पाने से मरहूम हो गये। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 2.09.2025 एवं 18.09.2025 निरस्त/अपास्त किये जाने एवं प्रार्थना पत्र 225ग एवं 230क स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत सिविल निगरानी के विरूद्ध विपक्षी कैलाश प्रसाद की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर कानूनन दो आदेश के विरूद्ध एक निगरानी पोषणीय नहीं होना कहा गया है। अपने वादपत्र में लेकुना को ठीक करने के लिए निगरानीकर्ता ने 230क 2 प्रार्थना-पत्र हस्ब आर्डर 6 रूल 17 जाब्ता दीवानी दाखिल किया जिस पर आपत्तिकर्ता द्वारा 232ग आपत्ति दाखिल किया गया और यह कहा गया कि प्रश्नगत संशोधन आर्डर 06 रूल 17 जाब्ता दीवानी के Proviso से Barred है। उक्त Proviso 2002 में जरिये संशोधन C.P.C. में Incorporate किया गया है। दावा 2004 में दाखिल किया गया और संशोधन प्रार्थना-पत्र 2025 में दाखिल किया गया इसलिए संशोधन प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है और वादी जो संशोधन चाहता था उसे उसका संज्ञान 2004 से है जैसा उसके वादपत्र में दर्ज है। अलावा इसके 222ग के निरस्त होने से जो लाभ आपत्तिकर्ता को मिल गया है उसे संशोधन द्वारा नहीं मिटाया जा सकता है। अतः अदालत मातहत ने 230क2 को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने की याचना की गयी।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के विरूद्ध निगरानीकर्तागण की ओर से प्रतिआपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया किः-

आपत्ति विपक्षी नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता जब न्यायालय में जिरह करने पहुँचे तो न्यायालय में बहुत भीड था और एक आदमी का गवाही चल रही थी इसी बीच अवर न्यायालय ने प्रार्थी की पत्रावली में आदेश पारित कर दिया और जिरह का अवसर समाप्त कर दिया जिससे प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति हो रही है। जबकि थोडा सा जिरह ही बाकी था।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद संख्या- 564/2004, रामचन्दर

प्रसाद वगैरह बनाम गोरख प्रसाद वगैरह के मामले में निगरानीकर्तागण द्वारा दौरान विचारण साक्षी डी०डब्लू०-2 की जिरह समाप्त किये जाने के अवर न्यायालय के आदेश को रिकाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र कागज संख्या- 225 ग प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा रिकाल किये जाने हेतु आधार पर्याप्त न होने के निष्कर्ष के साथ उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 02.09.2025 को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात दौरान विचारण निगरानीकर्तागण की ओर से अवर न्यायालय में एक संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या- 230क प्रस्तुत किया गया, जिसे भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उक्त प्रार्थना पत्र मामले को विलंबित करने के उद्देश्य से एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन समय सीमा में नहीं किये जाने पर दिनांक 18.09.2025 को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

<u>प्रार्थना पत्र कागज संख्या- 225 ग के निस्तारण के संबंध में।</u>

उक्त प्रार्थना पत्र विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान विचारण साक्षी डी०डब्लू०-2 से जिरह का अवसर समाप्त किये जाने के अवर न्यायालय के आदेश को रिकाल कर उक्त साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया जाए। जबकि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को रिकाल किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं होने के निष्कर्ष के साथ दिनांक 02.09.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2025 को वादी के विद्वान अधिवक्ता का साक्षी डी०डब्लू०-02 से बारम्बार पुकार पर जिरह हेतु उपस्थित न होने पर समय सांय 03.15 बजे उक्त साक्षी से जिरह का अवसर समाप्त किया गया, जिसके रिकाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 225 ग प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ शपथ-पत्र संलग्न नहीं किया गया। प्रस्तुत मामला अति प्राचीनतम वाद की श्रेणी में आता है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में किसी भी पक्ष को बिना किसी आवश्यक स्थगन के एक वर्ष के अंदर निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह सुस्पष्ट है कि वाद वर्ष 2004 से लंबित है और पुरानत श्रेणी का है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की नियमित मानीटरिंग पुराने वादों के निस्तारण के संबंधी होती है, जिसके क्रम में मामले को एक वर्ष में निस्तारित किये जाने का सम्मानित आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता को साक्षी डी०डब्लू०-2 से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>प्रार्थना पत्र कागज संख्या- 230 क के निस्तारण के संबंध में।</u>

उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र वादीगण की ओर से इस आशय का दिया गया है कि वादपत्र के धारा 10 ब में यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं०-2 के कब्जे में मकान नं०-192 व 215 है जो नक्शा नजरी में मद सूची ब व स क्रमशः है जिसमें प्रतिवादी सं०-2 ने पांच किरायेदार रखा जिनसे वह 30,000/-रुपया माहवार किराया वसूलते है। एक मकान तीन मंजिला है जिसमें 3 कमरें, किचन, लेट्रीन च

बाथरूम है। प्रत्येक तल पर इसी प्रकार तीन करमे, किचन, लैट्रीन बाथरूम है जिसमें से भूमितल पर प्रतिवादी सं०-2 तीन कमरों में अपने पुत्र के साथ रहता है तथा प्रथम तल व द्वितीय तल पर जो तीन-तीन कमरे है। स्कूली बच्चों को किराये पर कमरा दे रखा है जिससे प्रतिवादी सं०-2 की 15,000/- पन्द्रह हजार रुपये की माहवार आमदनी होती है। इसी प्रकार मकान नं०-215 है जिसमें एक किरायेदार अन्नू सर्विस सेन्टर है जो पांच हजार रुपया किराया प्रति० सं०-2 को 10,000/- रुपया माहवार किराया देता है। इस प्रकार प्रतिवादी सं०-2 मु०-30,000/- रुपया माहवार कमाता है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा होता है जिसको प्रतिवादी सं०-2 ने वादी का हिस्सा की रकम अदा नहीं कर रहा है। प्रतिवादी सं०-2 ने अपने आपत्ति में यह कहा कि उपरोक्त तथ्य का अनुतोष नहीं मांगा गया है जबकि न्यायहित में उपरोक्त तथ्यों के बावत वाद में अनुतोष मांगा जाना आवश्यक है। अतः वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वांछित संशोधन को वाद पत्र में संशोधन करने की मांग की गयी है।

जिसके विरोध में प्रतिवादी संख्या-02 द्वारा आपत्ति 232ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मुकदमा हाजा में वादीगण का साक्ष्य समाप्त हो चुका है और इस समय प्रतिवादी के गवाह डी०डब्लू०-2 की जिरह चल रही है। वादीगण ने मुकदमा हाजा में प्रार्थना पत्र 222ग अंतर्गत आर्डर 40 जाफ्ता दीवानी रिसीवर नियुक्त करने के संबंध में दाखिल किया जिसके विरूद्ध आपत्तिकर्ता ने दिनाक 29.08.2025 को 222ग के विरूद्ध आपत्ति मय काउण्टर शपथपत्र के दाखिल किया। आपत्ति के पैरा-14 में यह दर्ज किया कि वादी ने प्रश्नगत प्रकरण में अपने वाद पत्र में कोई रिलीफ नहीं मांगा है इसलिए मात्र इस आधार पर प्रार्थना पत्र 222ग वादी काबिल खारिजी के है क्योंकि जो रिलीफ वाद पत्र में नहीं मांगी गयी है उसके संबंध में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र जो अंतरिम रिलीफ के संबंध में दिया गया वह पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के हैं। जब वादीगण ने देखा कि उसका प्रार्थना पत्र 222ग खारिज हो जायेगा तब उसने अपने लेकुना को ठीक करने के लिए आफ्टरथाट मैलाफाइडी तौर पर संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के हैं। जो लाभ कानूनन पूर्व में आपत्तिकर्ता को मिल चुका हैं उसे इस तरह के संशोधन प्रार्थना पत्र के जरिये समाप्त नहीं किया जा सकता है। मकान नंबर 192 व 215 में कोई किरायेदार नहीं है और न आपत्तिकर्ता किसी तथाकथित किरायेदार से कोई तथाकथित किराया वसूलते है इस संबंध में प्रतिवादी का बयान व जिरह भी हो चुका है। अतः निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र 230क निरस्त कर दिया जाये।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के सुनने के पश्चात विद्वान अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलदेव सिह एवं अन्य बनाम मनोहर सिंह एवं अन्य, ए०आई०आर० 2006, उच्चतम न्यायालय 2832 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बृजभूषण लाल अवस्थी बनाम श्रीमती उर्मिला एवं अन्य, 2022 (4) जे.सी.एल.आर. 216 (इला०) व सत्येन्द्र कुमार यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2022 (4) जे.सी.एल.आर. 223 (इला०) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के प्रकाश में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मामले को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष के अंदर निस्तारित किये जाने निर्देशित किये जाने तथा पत्रावली का अतिप्राचीनतम होने व एक्शन प्लान की सूची में सूचीबद्ध होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के माध्यम से एक नये अनुतोष को जोड़ना कहते हुए स्पष्टतः वादी द्वारा मामले को

मात्र अनावश्यक रूप से विलंबित किये जाने और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में समय के भीतर निस्तारण नहीं करने देने एवं तंग करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना कहते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को मु० 3000/- रूपये प्रतिकारात्मक हर्जे के साथ निरस्त किया गया।

उभयपक्ष के तर्कों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि वाद वर्ष 2004 से लंबित है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक साल के भीतर निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। इसके बावजूद वादी द्वारा न तो साक्षी डी०डब्लू०-2 से जिरह की गयी और जिरह का अवसर समाप्त हो जाने पर वादपत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के परन्तुक के अनुसार "संशोधन के लिए किसी आवेदन को विचारण प्रारंभ होने के पश्चात तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।" ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत एवं विधिअनुकूल है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अत: मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत सिविल निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

तद्नुसार प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०, गोरखपुर द्वारा वाद संख्या- 564/2004, रामचन्दर प्रसाद आदि बनाम गोरख प्रसाद आदि के मामले में पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 एवं 18.09.2025 पुष्ट किये जाते हैं।

इस आदेश की एक प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस अवर न्यायालय प्रेषित हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04.05.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

यह निर्णय आज अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 04.05.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.05.04 16:20:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court